संख्याः–क0नि0– 632 /ग्यारह–2–2009–9(295)/07

प्रेषक,

देश दीपक वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 **लखनऊ::दिनांक:: 17 मार्च, 2009**

महोदय,

अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–260/ग्यारह–9(295)/07–उ0प्र0अधि0–5–2008–वैट नियमावली–08–आदेश–(40)–2009 दिनांक 30 जनवरी, 2009 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 में संशोधन करते हुए कर निर्धारण वर्ष 2007–08 का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 मार्च, 2009 निर्धारित की गई है। शासन के संज्ञान में लाया गया है कि परिस्थितिजन्य कारणों से नियत तिथि तक करदाताओं द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं हो पा रहा है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारक अधिकारी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि 90 दिन तक बढ़ा सकते हैं। शासन स्तर पर प्राप्त प्रत्यावेदनों में उल्लिखित कठिनाईयों को देखते हुए इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि करदाताओं द्वारा प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर कर निर्धारक अधिकारियों द्वारा इन प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई जाय।

भवदीय,

(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव।

पत्र सं0-वैट/विधि-1(1)परिपत्र भाग-2- 1285 /वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: मार्च 23 ,2009

प्रतिलिपि निम्न को शासन के पत्र संख्या-क0नि0-632/ग्यारह-2-2009-9(295)/07 दिनॉक 19-3-09 के क्रम सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त कर एंव निबन्धन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय लखनऊ ।

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-।वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र की पर्याप्त मात्रा में प्रतियॉ करवाकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

3- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय 1

4- समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर मुख्यालय ।

(वाई0एस0सिंह)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।